भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2279

दिनांक 14 मार्च, 2023 के लिए प्रश्न

आवारा पशुओं द्वारा पहुंचाए गए नुकसान को नियंत्रित करना

2279. डॉ. एस.टी. हसन:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या लावारिस गायों, भैंसों, बंदरों, सूअरों आदि जैसे आवारा पशुओं द्वारा किसानों को होने वाले भारी नुकसान को नियंत्रित करने के लिए कोई कार्यक्रम या कार्यनीति है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) और (ख) भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 (3) के अनुसार, पशुधन का परिरक्षण, संरक्षण और सुधार तथा जीव-जंतुओं के रोगों का निवारण; पशु चिकित्सा प्रशिक्षण एवं व्यवसाय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, जिसके लिए राज्यों के पास कानून बनाने की अनन्य शक्तियाँ हैं।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (ब) के अनुसार, स्थानीय नगर पालिका गोपशु अहातों और पिंजरापोल के लिए जिम्मेदार है। इसलिए, राज्य आवारा गोपशुओं को रखने के लिए पंचायतों को गोपशु अहाते (कांजी गृह)/गौशाला आश्रय गृह (सामुदायिक संपत्ति) स्थापित करने और चलाने के लिए सक्षम बनाएंगे। कई राज्यों ने आवारा गोपशुओं के लिए गौशालाओं और आश्रय गृहों की स्थापना की है और उन पशुओं के चारे की व्यवस्था की है।

उपर्युक्त संवैधानिक उपबंधों को ध्यान में रखते हुए राज्य को आवारा पशुओं पर उचित कार्रवाई करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त, अनुत्पादक पशुओं का उपयोग करने के लिए दुग्ध रहित(ड्राई) डेयरी को बढ़ावा दिया जाता है। एडब्ल्यूबीआई विभिन्न उत्पादों को बनाने के लिए गोपशुओं के गोबर और मूत्र के उचित उपयोग के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चला रहा है ताकि गौ आश्रयों/गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि बूढ़े और अनुत्पादक पशु आवारा न रहें।

आवारा पशुओं को रखने के लिए उपचार और पशुचिकित्सा देखभाल हेतु भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड, गोशाला, पिंजरा पोल को सहायता प्रदान कर रहा है। अनेक राज्य सरकारें भी आवारा गोपशुओं के आहार और आश्रय के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही हैं। हालांकि, बंदर चूंकि वन्य पशु हैं अतः उनको नियंत्रित करने की कोई प्रमाणित पद्धति नहीं है।

******